भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 633 का उत्तर

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

633. श्री राजन विचारे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोनों, विशेषकर ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चल रही और लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के विकास के लिए आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 06.12.2023 को लोक सभा मे श्री राजन विचारे द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 633 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ) : रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वी)कृत की जाती हैं न कि राज्यूवार क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्नि राज्योंठे की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल , 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार , ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया /आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,872 कि.मी. कुल लंबाई की 34 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (16 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण) 80,184 करोड़ रुपये लागत से योजना /अनुमोदन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं , जिनमें से 1,421 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2023 तक 23,964 करोड़ रु. का व्यलय किया जा चुका हैइसमें शामिल हैं: -

(i) 38,423 करोड़ रु . की लागत वाली 2,017 कि .मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनओं में से मार्च , 2023 तक 93 कि .मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 6,052 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(ii) 7,339 करोड़ रु . की लागत वाली 580 कि .मी. कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाओं में से मार्च, 2023 तक 283 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 2,791 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(iii) 34,422 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,275 कि .मी. कुल लंबाई की 16 दोहरीकरण परियोजनाओं में से मार्च , 2023 तक 1,045 कि .मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 15,121 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे , दक्षिण मध्य रेलवे , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं की लागत, निधि स्रोत व्यय और परिव्यय सहित उनका क्षेत्रीय रेलवे-वार और वर्ष -वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in > Ministry of Railways > Railway Board > About Indian Railways > Railway Board Directorates > Finance (Budget)>Rail Budget/Pink Book (year)>Railway-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से, भारतीय रेलों के बजट आबंटन और उसके अनुरूप परियोजनाओं की कमीशनिंग में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्यआ में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मिक परियोजनाएं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नलिखित हैः -

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में अधिक प्रतिशत
2009-14	1171 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	-
2014-23	6493 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	455% अधिक
2023-24	13539 करोड़ रुपये	1056% अधिक

2014-23 के दौरान , महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया /आंशिक रूप से पड़ने वाले 1,472 कि.मी. खंड (147 कि.मी. नई लाइनें , 136 किमी. आमान परिवर्तन और 1189 किमी. दोहरीकरण) को प्रतिवर्ष 163.56 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग (58.4 किमी/वर्ष) से 180% अधिक है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण , वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है । ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें (i) धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि , (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन , (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की सघन निगरानी (iv) त्वरित भूमि अधिग्रहण , वन और वन्यजीव संबंधी स्वीकृति और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों सहित नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं।

*****